संख्या : 2805/8–1–05–48 विविध/05

प्रेषक,

जे. एस. मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
   उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश,
4. अध्यक्ष,
   समस्त विनियमित क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 30 मई, 2003

विषय : *अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के उपायों को और सुदृढ़ किये जाने एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में संशोधन के सम्बन्ध में।*

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या–यू.ओ.–21/आठ–1–05 दिनांक 05 मई, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के उपायों को और सुदृढ़ किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा उ. प्र. अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अध्यादेश 2005 संख्या–70/सात–वि–1–2 (क) 6–2005, दिनांक 24 जनवरी, 05 तथा उ. प्र. अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–5, एन् 2005) एवं नियमावली 2005 का प्रख्यापन किया गया है। इस अधिनियम की धारा–7 के अन्तर्गत व्मिान/निर्माणाधीन भवनों के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करते हुए कि अग्नि सुरक्षा, व्यवहारिक रूप से युक्ति–युक्तपूर्वक प्राप्त है/प्राप्त की जा सकती है, से सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी, विकास प्राधिकरण, नगर पालिका, नगर निगम, उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद या भवन योजना संस्वीकृति प्राधिकारी, जिन्हें उ. प्र. अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा नियमावली–2005 के नियम–2 (ख) के अधीन सत्ता प्राधिकारी के रूप में विद्यमान/निर्माणाधीन भवनों की योजना पर अनुज्ञा प्रदान करने हेतु परिभाषित किया गया है, द्वारा भवन उपविधियों के उपबन्धों, विकास प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शर्तों तथा सुसंगत व्यवस्थाओं के अनुरूप विद्यमान/निर्माणाधीन भवनों की योजना पर अनुज्ञा प्रदान की जाएगी।

इस प्रकार विद्यमान/निर्माणाधीन भवनों की योजना पर अनुज्ञा के सम्बन्ध में इस अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2. इस अधिनियम एवं नियमावली में परिभाषित भवन/परिसर के सम्बन्ध में नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी व मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा जारी नोटिसों तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी कार्यवाही को गार्ड फाइल में व्यवस्थित किया जायेगा और सम्बन्धित सूचनायें संलग्नक 'क' के अनुरूप कार्यालय प्रभारी द्वारा प्रमाणित स्थायी पंजिका में नियमित रूप से रखी जायेगी।

3. नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा जो नोटिस दिये जायेंगे, उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को भी उसी दिवस बिना विलम्ब किये उपलब्ध करायी जायेगी। नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी होने वाले नोटिसों की सूचना सम्बन्धित मुख्य अग्निशमन अधिकारी को भी तत्परता से भेजी जायेगी। अग्निशमन सेवा, उत्तर प्रदेश को प्रपत्र 'ख' के अनुरूप उपलब्ध कराया जायेगा।

4. सत्ता प्राधिकारी (entity authority) द्वारा उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–5, सन् 2005) की धारा–7 के अधीन योजना संस्वीकृति की सूचना नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी को प्रपत्र 'ब' के अनुरूप उसी दिवस में उपलब्ध करायी जायेगी।

5. उपरोक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–यू.ओ.–21/आठ–1–05 दिनांक 5 मई, 2005 का आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–3 में प्रतिस्थापित व्यवस्था के स्थान पर अधिनियम एवं नियमावली में प्राविधानित एवं सम्मुख अंकित व्यवस्था को एतदद्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है–

<table>
<tr><th></th><th>वर्तमान में प्रतिस्थापित व्यवस्था</th><th>एतदद्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था</th></tr>
<tr><td colspan="2">"निम्न भवनों के निर्माण अनुज्ञा के लिए अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अध्यादेश, 2005, जो इस उपविधि के अनुलग्नक–3 पर है, के अनुसार स्थानीय अग्नि शमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।</td><td rowspan="3">पन्द्रह मीटर से अधिक ऊँचाई वाले प्रत्येक भवन चाहे विद्यमान हो या परिनिर्माणाधीन हो जिसका उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन यथा शारीरिक या मानसिक बीमारी, रोगों या दौर्बल्य से पीड़ित व्यक्तियों, शिशुओं के मामले, स्वास्थ्य लाभकर्ताओं या अधिक वय के व्यक्तियों की चिकित्सीय या अन्य उपचार या देखभाल करने या शास्ति या सुधारात्मक निरूद्धता, जिसमें निवासियों की स्वतन्त्रता निर्बन्धित हो, दुकान, बाजार, शयनवास, होटल या किराये के लिये सुसज्जित कमरों वाले मकान, शैक्षिक संस्था, सभा भवनों, जहाँ जन समुदाय नोरंजन, आमोद, सामाजिक, धार्मिक, देश–प्रेम सम्बन्धी, नागरिक त्राओं के लिए इकट्ठा या एकत्रित होना हो या तत्समान प्रयोजनों के लिए किया जाना सम्भावित हो के लिए योजना प्रस्तुत की जायेगी और सरकार द्वारा प्राधिकृत सत्ता से अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी कि अग्नि से सुरक्षा व्यवहारिक रूप में युक्ति–युक्तपूर्वक प्राप्य है और प्राप्त की जा सकती है।</td></tr>
<tr><td>(क)</td><td>4 मंजिल या 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के बहुमंजिले भवन</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>सभा भवन, शैक्षिक, संस्थागत, सभा भवन, शैक्षिक, संस्थागत, सभा भवन, शैक्षिक, संस्थागत, भू–आच्छादन के विशिष्ट भवन।</td></tr>
</table>

6. कृपया उपरोक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उपरोक्त संशोधनों को समायोजित करते हुए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकरण उपरान्त शासन के अनमोदन हेतु प्राथमिकता के आधार पर अवलिम्ब प्रेषित करने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि कृपया तदनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : प्रपत्र क, ख, च एवं
उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा
अधिनियम–2005 तथा उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा नियमावली–2005

भवदीय
(जे. एस. मिश्र)
सचिव

संख्या : 2805 (1)/आठ–1–05, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र विकास प्राधिकरण/ उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद।
3. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. गृह (पुलिस) अनुभाग–8 को उनके पत्र संख्या : 956/छः–प. 1–8–2004, दिनांक 02.05.05 तथा अर्धशासकीय पत्र संख्या–1086/छः–पु–8–05, दिनांक 26 मई, 2005 के सन्दर्भ में।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(रामवृक्ष प्रसाद)
विशेष सचिव